




न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अमील प्राधिकारी, सीकर।

अपील संख्या-9/2010

रामप्रतापसिंह पुत्र विजयसिंह निवासी गढवाल की दायी तल धिरोड तहसील नवलगढ में



--अपीलान्ट--

1- राज्य सरकार जरिये तहसीलदार अधिकार नायब तहसीलदार नवलगढ ।

2- जिला कलेक्टर शुन्धुनू रायन --रेस्पोंडेंट--

निर्णय दिनांक
नायब
तहसीलदार नवलगढ एवं निर्णय
दिनांक 23-2-2010 सारा
सत्यमेव जयते
जिला कलेक्टर, शुन्धुनू
--0--

Web Copy - Not Official

उपस्थित

- 1-श्री भीमसिंह एडवोकेट अपीलान्ट
- 2-श्री पोखरमल चौधरी राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांक- 4.7.2018

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि पटवारी हल्का ने रिपोर्ट की कि गैरसायल ने आराजी ख0नं0 116 रकबा 3.43 हेक्टर गै0मु0 जोहड में से 0.01 हेक्टर पर पक्का निर्माण कर अतिक्रमण अतिक्रमण किया। इस पर नायब तहसीलदार नवलगढ ने राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा-91 के तहत नोटिस जारी किया जिस पर गैर सायल हाजिर आया। प्रकरण में सुनवाई करते हुये विवादित आराजी पर गैर सायल को अतिक्रमी घोषित कर बेदखली का आदेश दिया जिसके विरुद्ध जिला कलेक्टर सीकर के यहाँ प्रथम अपील पेश की जिसे विद्वान जिला कलेक्टर शुन्धुनू ने दिनांक 23-6-2008 को खारिज कर दिया। जिसके विरुद्ध द्वितीय अपील अदालत हाजा में करने पर प्रकरण में सुनवाई करते हुये अपील स्वीकार कर तहसीलदार नवलगढ को रिमाण्ड किया। इसके बाद प्रकरण को तहसीलदार नवलगढ ने नायब तहसीलदार नवलगढ को सुनवाई के लिये भिजवाया जिस पर सुनवाई कर पुनः गैरसायल को अतिक्रमी घोषित कर उक्त आराजी से



ने अपनी मर्जी के अनुसार ही यह आदेश पारित कर दिया कि अपीलान्ट ने आराजी को नियमित करने का कोई निवेदन नहीं किया। अपीलान्ट का कब्जा पटटे बुद्धा भूमि पर ही है। उससे अधिक भूमि पर अपीलान्ट का कब्जा नहीं है। इस कारण अदालत मातहत के आदेश कानून के विपरित है। अदालत मातहत ने अपीलान्ट के पटटे बुद्धा कब्जे को नजर अन्दाज कर निर्णय करने में कानूनी भूल की है। अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर अदालत मातहत का निर्णय निरस्त किया जावे।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रैस्पोंडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। अदालत मातहत की पत्रावली मंगाई जाकर शामिल पत्रावली की गई। बहस विद्वान अभिभाषकगण सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने बहस में अपील मीमों में दर्ज तथ्यों को दौहराते हुये कथन किया कि अपीलान्ट का विवादित आराजी पर तहसीलदार द्वारा जारी सनद/पटटा की भूमि पर ही कब्जा है। पटटे से अधिक भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं है। अदालत मातहत ने इस बिन्दू पर कोई गौर न कर बिना मौके की जांच किये ही केवल विवादित आराजी की किस्म गैर मुमकिन जोहड होने से अपीलान्ट को अतिक्रमी मानकर आदेश पारित किया जबकि इस बिन्दू पर कोई गौर नहीं किया गया कि अपीलान्ट को इस आराजी की सनद जारी की हुई है उस सनद से अधिक आराजी पर अतिक्रमण हो तो उससे बेदखल किये जाने की कार्य-वाही की जानी चाहिये किन्तु अदालत मातहत ने इस बिन्दू पर कोई गौर न कर अपना निर्णय दिया है जो कानून के विपरित है। अपीलान्ट का कब्जा उसको जारी सनद/पटटे की आराजी पर ही उससे अधिक रकबे पर कोई अतिक्रमण नहीं है। अदालत मातहत ने इस बिन्दू पर कोई गौर न कर केवल अपने निर्णय में उक्त विवादित आराजी की किस्म गैर मुमकिन जोहड होने से उक्त आराजी से अपीलान्ट को बेदखल किये जाने का आदेश पारित किया है जो कानून के विपरित है। अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर अदालत मातहत के निर्णय निरस्त किये जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि विवादित



और न ही आवंटन/नियमन की जा सकती है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय अब्दूल रहमान बनाम सरकार में इस प्रकार की आराजी के बाबत निर्णय पारित किया जा चुका है कि पानी के बहाव क्षेत्र की आराजी का कोई आवंटन नियमन नहीं किया जावे बल्कि इस प्रकार की आराजी पर किये गये अतिक्रमण को तुरन्त हटाया जावे। अदालत मातहत ने माननीय उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय के परिप्रेक्ष्य में अपीलान्ट की अपील को खारिज कर अतिक्रमी रकबें से बेदखल किये जाने का आदेश पारित किया है। जिसमें किसी प्रकार की कोई कानूनी भूल नहीं है। अपीलान्ट की अपील खारिज की जावे।


बहस बगौर समाप्त की गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया नकल उषण जमाबन्दी सं०-2064 से 2067 में ख०नं० 116 रकबा 3.43 हैक्टर चारागाह व अन्य सामान्य कार्य हेतु राजकीय खातेदारी में दर्ज है। जिसकी किस्म गै०मु० जोहड दर्ज है। अदालत हाजा का निर्णय दिनांक 22-12-2008 में प्रकरण तहसीलदार नवलगढ़ को नायब तहसीलदार स्तर के अधिकारी से रिपोर्ट लेकर पुनः निर्णय हेतु रिमाण्ड किया गया है। सनद पट्टा दिनांक 30-3-1976 को ख०नं० 1506 गै०मु० जोहडी में से 18 1/2 वर्गज का जारी किया गया है। जांच रिपोर्ट दिनांक 25-7-2007 में गत ख०नं० 1705 के हाल ख०नं० 116 रकबा 3.43 हैक्टर बनना दर्ज किया है। तथा गत ख०नं० 1506 के हाल ख०नं० 1705 बनना दर्ज है। रिपोर्ट में गैर सायल द्वारा आंशिक हिस्से पर अतिक्रमण किया जाना दर्ज किया है। परिपत्र राजस्व गृप-6 विभाग क्रमांक प-96 राज०-6/2000/ जयपुर दि० 16-10-2001 में ग्रामीण क्षेत्रों में सिवायचक, चारागाह, गैर मुमकीन भूमि पर दि० 1-7-1989 से कब्जा है तो नियमन उन्हीं शर्तों पर किया जावे। मौका रिपोर्ट दिनांक 25-7-2007 में रिपोर्ट की है कि गैर सायल ने आंशिक हिस्से पर अतिक्रमण कर रखा है। अदालत मातहत ने इस रिपोर्ट को ध्यान में रखकर आदेश पारित किया है। इसके साथ ही विवादित आराजी की किस्म गै०मु०मुकीन जोहड दर्ज है जो माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय अब्दूल रहमान बनाम सरकार के अनुसार यह आराजी पानी के बहाव क्षेत्र की आराजी है और इस प्रकार की आराजी पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण किया जाता है तो उसे हटाये



जाने के ही निर्देशा है किन्तु अदालत हाजा ने अपने निर्णय दिनांक 22-12-08 में प्रकरण तहसीलदार नवलगढ को इस दिशा निर्देशा के साथ रिमाण्ड किया था कि यदि अपीलान्ट द्वारा किया गया अतिक्रमण दिनांक 30-3-1976 को जारी सनद क्षेत्रफल से बाहर है तो तथ्यों को स्पष्ट रूप से खुलाशा करते हुये कम से कम नायब तहसीलदार स्तर के अधिकारी से रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद सक्षम आदेशा पारित करें। अदालत मातहत ने अपने निर्णय मे कही दर्ज नही किया कि दिनांक 30-3-1976 को जारी सनद/पटटा के अतिरिक्त कब्जा हो तो इस तथ्य का स्पष्ट करते हुये अपना निर्णय पारित करें। किन्तु विद्वान नायब तहसीलदार नवलगढ ने अदालत हाजा द्वारा पारित आदेशा के निर्देशा की कोई पालना न कर अपना निर्णय दिया है। अतः हम पुनः प्रकरण नायब तहसीलदार को इस निर्देशा के साथ रिमाण्ड किया जाना उचित मानते है कि वह प्रकरण में अदालत हाजा के निर्णय दिनांक 22-12-2008 के निर्देशाओं की पालना कर अपना निर्णय पुनः पारित करें।

अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा विद्वान नायब तहसीलदार नवलगढ का निर्णय दिनांक 21-7-2009 एवं विद्वान जिला कलेक्टर डुन्डुनू का निर्णय दिनांक 23-2-2010 को खारिज किया जाकर प्रकरण नायब तहसीलदार नवलगढ को प्रकरण उक्ता अनुसार रिमाण्ड किया जाता है। पक्षकार अदालत मातहत में दिनांक 21-8-18 को उपस्थित हों।

निर्णय सरे हजलास आज दिनांक 4.7.2018 को सुनाया गया।


शंवरलाल मेहरड़ा
पदेन राजस्व अधिकारी एवं
सीकर